

20/04/23

पत्रावली जैसा हुई। वकील पञ्जकारान
अनुपस्थित। वकील वादी को बार-बार
आवाजे लगाये जाने के बावजूद
वकील वादी एवं उनका कोई प्रतिनिधि
उपस्थित नहीं हुआ। अतः वादी का
वाद CPC के 09 R 3 के तहत
स्वारित किया जाता है। पत्रावली
फैसल नुमांर होकर गारिवल
दफ्तर हो। फैसला सुले न्यायालय
में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
सांभर लोक (जयपुर)